


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 228]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 2, 1977 एपे 12, 1899

No. 228]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 2, 1977 JYAISTHA 12, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June 1977

S.O. 378(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the Vice President acting as President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely —

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and twenty first Amendment) Rules, 1977

(2) They shall come into force at once

2 In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, (hereinafter referred to as the said rules) in the First Schedule, for entry 1C the following entry shall be substituted, namely.—

“1C. Ministry of Commerce (Vanijya Mantralaya)

[with a Department of Textiles (Vastar Vibhag) within the Ministry (Mantralaya)]”;

3 In the Second Schedule to the said rules, for the heading “MINISTRY OF COMMERCE (VANIJYA MANTRALAYA)” and entries thereunder, the following heading and entries shall be substituted, namely —

“MINISTRY OF COMMERCE (VANIJYA MANTRALAYA)

I. General International Trade Policy

1 International Commercial Policy.

2. International agencies principally connected with commercial policy (e.g. UNCTAD, ECAFE, ECA, ECIA, EEC, EFTA, GATT).
3. International commodity Agreements other than agreements relating to Wheat
4. All matters relating to international trade policy including tariff and non-tariff barriers

II Foreign Trade

5. All matters relating to foreign trade including trade negotiations, and agreements (including General Agreement on Tariffs and Trade and Commonwealth Tariff Preferences), trade missions and delegations, trade cooperation and promotion, and protection of interests of Indian traders abroad.
6. Import and Export Trade Policy and Control excluding the matters relating to—
 - (i) import of feature films,
 - (ii) export of Indian films—both feature length and shorts, and
 - (iii) import and distribution of cine-film (un-exposed) and other goods required by the film industry
7. Chief Controller of Imports and Exports.

III. State Trading

8. Policies of State Trading and performance of organisations established for the purpose, including
 - (i) State Trading Corporation and its following subsidiaries.—
 - (a) Cashew Corporation of India,
 - (b) Projects & Equipment Corporation of India.
 - (ii) Minerals & Metals Trading Corporation.

IV. Trading with the enemy; enemy property

9. Trading with the enemy, enemy firms and enemy property, reparations (other than German industrial equipment), Controller of Enemy Trading; Controller of Enemy firms, Custodian of Enemy Property for India
10. Tariff Commission [The Tariff Commission Act, 1951 (50 of 1951)], Tariff Protection to Industries, International Customs Tariff Bureau.
11. Development and expansion of export production in relation to all commodities, products, manufactures, and semi-manufactures including the following:
 - (a) agricultural produce within the meaning of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937,
 - (b) marine products,
 - (c) industrial products (engineering goods, chemicals, plastics, leather products, etc.);
 - (d) fuels, minerals and mineral products;
 - (e) Specific export-oriented products (including plantation crops etc. but excluding jute products and handicrafts) which are directly the charge of this Department
12. All organisations and institutions connected with the provision of services relating to the export effort including.
 - (a) Export Credit and Guarantee Corporation
 - (b) Export Inspection Council
 - (c) Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics
 - (d) Directorate of Exhibitions and Commercial Publicity
 - (e) Free Trade-Zones.

13. Projects and programmes for stimulating and assisting the export efforts

- 14 Production, distribution (for domestic consumption and exports) and development of plantation crops, tea, coffee, rubber and Cardamom.
- 15 (i) Tea Trading Corporation of India.
(ii) Tea Board.
(iii) Coffee Board
(iv) Rubber Board
(v) Cardamom Board

DEPARTMENT OF TEXTILES (VASTR VIBHAG)

- 1 Production, distribution (for domestic consumption and exports) and development of all textiles, and woollens including handlooms and readymade garments, and industries relating to the production of silk and cellulosic fibres but excluding non-cellulosic synthetic fibres (nylon, polyester, acrylic, etc.), jute, jute products and Handicrafts.
- 2 Textile Commissioner
- 3 Jute Commissioner
- 4 Jute Corporation of India Limited
- 5 Cotton Corporation of India Limited
- 6 All India Handicrafts Board.
- 7 All India Handloom Board
- 8 The National Textile Corporation Limited
- 9 Sericulture
- 10 Central Silk Board
- 11 Handicrafts and Handlooms Export Corporation.
- 12 Handloom Development Commissioner "

B. D. JATTI, Vice-President acting as President.

[No 74/2/1/77-CF].

R M. AGRAWAL, Jt. Secy

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 1977

का०आ० 378(अ) — राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत उप-राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) (एक सौ इक्कीसवा सशोधन) नियम, 1977 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, प्रथम अनुसूची में, प्रविष्टि 1 ग के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“1ग. वाणिज्य मन्त्रालय

मन्त्रालय के अन्तर्गत एक वस्त्र विभाग सहित।”

3. उक्त नियमों की द्वितीय अनुसूची में, वाणिज्य मंत्रालय शीर्षक तथा उसके अंतर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् —

“वाणिज्य मंत्रालय

I. सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारनीति

1. अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक-नीति
2. वाणिज्य-नीति से मुख्यतः संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण (जैसे यू० एन० सी० टी० ए० डी०, ई० सी० ए० एफ० ई०, ई० सी० ए०, ई० सी० आई० ए०, ई० ई० सी०, ई० एफ० टी० ए०, जी० ए० टी० टी०) ।
गोहू से भिन्न अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु-करार ।
4. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नीति से संबंधित अथवा विषय जिनमें टैरिफ और टैरिफ-इतर अवरोध सम्मिलित हैं ।

. विदेश व्यापार

5. विदेश व्यापार से संबंधित सभी विषय जिनमें व्यापार वार्ताएँ और करार (जिनमें टैरिफ और व्यापार विषयक साधारण करार और गवर्नमण्टल टैरिफ अधिमान सम्मिलित हैं), व्यापार मिशन और प्रतिनिधिमण्डल, व्यापार सहयोग और संवर्धन, और विदेशस्थ भारतीय व्यापारियों के हितों का संरक्षण सम्मिलित हैं ।
6. आयात और निर्यात व्यापार नीति और नियंत्रण जिसमें निम्नलिखित विषय सम्मिलित नहीं हैं :—
 - (i) वक्का चिह्नों का आयात
 - (ii) भारतीय फिल्मों का निर्यात—दीर्घ और लघु कथा चित्र दोनों; और
 - (iii) चलचित्र (अनुदभासित) और फिल्म उद्योग द्वारा अपेक्षित अन्य वस्तुओं का आयात और वितरण ।
7. मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात ।

III; राज्य व्यापार

8. राज्य व्यापार की नीतियाँ और इस प्रयोजन के लिए स्थापित सगठनों का कार्य, जिनमें ये आते हैं :—
 - (i) राज्य व्यापार निगम और उसकी निम्नलिखित सहायक संस्थाएँ :—
 - (क) भारतीय काजू निगम,
 - (ख) भारतीय परियोजना और उपस्कर निगम ।
 - (ii) खनिज और घातू व्यापार निगम ।”

IV. शत्रु के साथ व्यापार; शत्रु सम्पत्ति

9. शत्रु के साथ व्यापार; शत्रु फर्मों और शत्रु सम्पत्ति; हानि पूर्ति (जर्मन औद्योगिक उपस्कर से भिन्न); शत्रु व्यापार नियंत्रक; शत्रु फर्म नियंत्रक; भारत के लिए शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक ।

10. टैरिफ आयोग, 'टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 (1951 का 50)' उद्योगों को टैरिफ संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क टैरिफ ब्यूरो।
11. सभी वस्तुओं, उत्पादों, विनिर्माणों और अर्द्ध विनिर्माणों, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित है, से संबंधित निर्यात उत्पादन का विकास और विस्तार
 - (क) कृषि उत्पाद (श्रेणी करण और अकन) अधिनियम, 1937 के अन्तर्गत गाने वाली कृषि उपज ,
 - (ख) समुद्री उत्पाद ,
 - (ग) औद्योगिक उत्पाद (इंजीनियरी का सामान, कैंमिकल्स, प्लास्टिक, चमड़ा उत्पाद आदि) ;
 - (घ) ईंधन, खनिज और खनिज उत्पाद ;
 - (ङ) विनिर्दिष्ट निर्यातीन्मुख उत्पाद (जिनमें बागान उपज आदि, तो आते हैं लेकिन पटसन उत्पाद और हस्तशिल्प नहीं आते जो प्रत्यक्षतः इस विभाग के भारसाधन में हैं।
12. वे सभी सगठन और संस्थाएँ, जो निर्यात उद्यम से संबंधित सेवाओं की व्यवस्था से सम्बद्ध हैं जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—
 - (क) निर्यात साख और प्रत्याभूति निगम।
 - (ख) निर्यात निरीक्षण परिषद्।
 - (ग) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय।
 - (घ) प्रदर्शनी और वाणिज्यिक प्रचार निवेशालय।
 - (ङ) नि.शुल्क व्यापार जोन।
13. निर्यात उद्यम के लिए प्रोत्साहक और सहायक परियोजनाएँ और कार्यक्रम।
14. बागान उपज, चाय, काफी, रबड़ और इलायची का उत्पादन, वितरण (देश में खपत और निर्यात के लिए) और विकास।
15. (i) भारतीय चाय व्यापार निगम।
 (ii) चाय बोर्ड।
 (iii) काफी बोर्ड।
 (iv) रबड़ बोर्ड।
 (v) इलायची बोर्ड।

वस्त्र विभाग

1. सभी वस्त्रों और उनी वस्त्रों, जिनमें हैडलूम और सिले सिलाए वस्त्र शामिल हैं, का उत्पादन वितरण (देश में खपत और निर्यात के लिए) और विकास, तथा रेशम और सेलूलोसिक, तन्तुओं, जिनमें गैर सेलूलोसिक, संश्लिष्ट तन्तु (नायलान, पोलिरेस्टर, एक्रिलिक आदि), पटसन, पटसन उत्पाद और हस्तशिल्प नहीं आते, के उत्पाद से सम्बद्ध उद्योग।

2. वस्त्र आयुक्त ।
3. पटसन, आयुक्त ।
4. भारतीय पटसन निगम लिमिटेड ।
5. भारतीय कपास निगम लिमिटेड ।
6. अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड ।
7. अखिल भारतीय हैडलूम बोर्ड ।
8. राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड ।
9. रेशम शीट-पालन ।
10. केन्द्रीय रेशम बोर्ड ।
11. हस्तशिल्प, और हैडलूम निर्यात निगम ।
12. हैडलूम विकास आयुक्त । ” ।

वसप्पा दानप्पा जत्सी,
राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उप-राष्ट्रपति ।

सं० 74/2/1 77-सी० एफ० ।

आर० एम० अग्रवाल, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मंत्रालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977